

कार्यालय आदेश सं. 06/2014

विषय: केन्द्रीय श्रम सेवा के एसटीएस अधिकारियों की तैनाती / स्थानांतरण

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ के ओ. ए. सं. 619/सीएच/2011 के दिनांक 11/11/2013 के आदेश के माध्यम से, उनके निर्देशों के अनुपालन में, श्री अमर कांत गोयल, जो वर्तमान में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़ के पद पर तैनात हैं, के संबंध में दिनांक 13/02/2014 को आयोजित डीपीसी द्वारा वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए एसटीएस ग्रेड में पदोन्नत हेतु विचार किया गया था। माननीय राष्ट्रपति, अब, श्री अमर कांत गोयल, को रूपए 15,600-39,100/- और ग्रेड वेतन रूपए 6600/- के समकक्ष वेतन बैंड-3 के वेतन मान में एसटीएस ग्रेड में नियमित आधार पर पदोन्नत और नियुक्त करते हैं।

2. श्री अमर कांत गोयल को उनकी पदोन्नत होने पर केन्द्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), नई दिल्ली के मुख्यालय में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), (प्रशिक्षण), के पद पर तैनात किया जाता है। उनकी पदोन्नत, केन्द्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), मुख्यालय, नई दिल्ली में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

3. अमर कांत गोयल को पूर्व में दिनांक 07.05.2003 की जेटीएस की संशोधन पूर्व वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस) ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। तथापि, ओ.ए. सं. 951/2004 (श्री टी. बेहरा बनाम यूओआई) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कटक बेंच, कटक के दिनांक 11.09.2008 और ओ.ए. सं. 664/2004 (श्री यशपाल त्यागी बनाम यूओआई) में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के दिनांक 28.10.2009 के आदेशों के अनुपालन में, जेटीएस ग्रेड की विरिष्ठता सूची को दिनांक 15.09.2011 को संशोधित किया गया था। तदनुसार, श्री अमर कांत गोयल द्वारा उनके आदेश के अनुसार, दिनांक 04.12.2009 अर्थात् एसटीएस ग्रेड में उनकी पूर्व पदोन्नत की तारीख से क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), केन्द्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रभार ग्रहण करनी की तारीख तक दी गई सेवा को एसटीएस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। तथापि, वेतन अथवा भत्ते की कोई वसूली नहीं की जाएगी क्योंकि इस अवधि के दौरान, वास्तव में, उन्होंने उच्चतर पद के कार्यों का निर्वहन किया है।

4. श्री अमर कांत गोयल की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति श्री बी. बी. सिंह सामन्था (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय कैट, गोवाहाटी के समक्ष दायर की गई ओ.ए. सं. 55/2011, श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसीटी सं. 15/2012 और श्री एम. धर्मराज द्वारा माननीय कैट, हैदराबाद के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 240/2012 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।
5. अधिकारी वेतन के निर्धारण पर एक वेतन वृद्धि के अनुदान का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि उन्हें वेतन बैंड-3., रूपए 15600-39100/- और ग्रेड वेतन रूपए 6600/- के समकक्ष वेतन में गैर-कार्यात्मक उन्नयन पहले ही प्रदान किया जा चुका है।
6. उप मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), चंडीगढ़ से अनुरोध किया जाता है कि अधिकारी को कार्यभार मुक्त किया जाए ताकि वह तुरंत अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सके। संबंधित अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल अपने संबंधित कार्यालय के माध्यम से अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट जमा करें। यदि, अधिकारी 30 दिन की अवधि के भीतर अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, यह मान लिया जाएगा कि वह एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति लेने का इच्छुक नहीं है और इसके बाद एक वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष की रिक्तियों को भरने हेतु पदोन्नति से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारी, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रदान किए जाने वाले गैर कार्यात्मक उन्नयन का लाभ आहिरत करेगा यदि वह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उच्चतर ग्रेड में नियमित पदोन्नति के बदले में पूर्व में एनएफयू का लाभ दिया गया था।
7. अधिकारी, संबंधित नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते/ कार्यभार ग्रहण करने हेतु समयसीमा के लिए पात्र हैं।
8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बाबू चेरीअन)

भारत सरकार के उप सचिव

टैलीफैक्स: 23753079

वितरण:-

1. संबंधित अधिकारी
2. संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन
3. एलईएम के निजी सचिव/राज्य मंत्री(एल एंड ई) के निजी सचिव/पीएसओ के सचिव(एल एंड ई)/एएस(एल एंड ई) के निजी सचिव/डीजीएलडब्ल्यू/संयुक्त सचिव (एपी)
4. सीएलसी(के.)/प्रशासन-I / एसई धारा, सीएलसी(के.), नई दिल्ली कार्यालय
5. निदेशक(सीआर)/डीएस(बीएस)/डीएस(एएफ)
6. सीएलएस-II धारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/ कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां